राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 2800/2025

सुरेश सिंह यादव

–अपीलार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये सचिव, पशु पालन विभाग, राजस्थान सरकार, सचिवालय, जयपुर।
2. निदेशक, पशु पालन विभाग, राजस्थान सरकार, सचिवालय, जयपुर।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 14.05.2025
आदेश की दिनांक : 06.06.2025

अपीलार्थी की ओर से : श्री एम.एस. राघव, अधिवक्ता

समक्ष :– चेतन राम देवड़ा, सदस्य
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलो के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।

प्रस्तुत अपील के अनुसार अपीलार्थी ब्लॉक पशु चिकित्सा स्वास्थ्य कार्यालय, बहरोड़ में वरिष्ठ पशुधन विस्तार अधिकारी के रूप में अपनी सेवाएं दे रहा है और उसके पेंशन दस्तावेज तैयार करने की प्रक्रिया चल रही है क्योंकि वह 2 वर्षों के बाद सेवानिवृत्त होने वाला है। अपीलार्थी को दिनांक 15.03.2014 को वी.एच. उप–केंद्र बहाला, जैसलमेर में कार्यभार ग्रहण करने का निर्देश दिया गया है। पशुधन को चिकित्सा सहायता प्रदान करने के लिए आपातकालीन स्थिति और राष्ट्रीय सुरक्षा के उद्भव के तहत तत्काल आदेश जारी किया गया था लेकिन अगले ही दिन यानी दिनांक 10.05.2025 को एक शुद्धि आदेश जारी किया गया, जिसमें निर्देश दिया गया कि उनका स्थानांतरण पद बिना किसी संबंध के संयुक्त निदेशक, पशुपालन, बीकानेर के कार्यालय में पढ़ा जाएगा और उनके निकट और प्रियजनों को बहरोड़ में समायोजित किया जाएगा। दिनांक 09.05.2025 एवं 10.05.2025 के स्थानांतरण आदेश से स्पष्ट है कि स्थानांतरण आदेश किसी को समायोजित करने के लिए जारी किया गया है। अपीलार्थी का स्थानांतरण राजनीतिक लाभ लेने के कारण किया गया है तथा उसके स्थान पर अभी तक किसी का स्थानांतरण नहीं किया गया है। ओपलार्थी को पहले जैसलमेर और फिर बीकानेर, सुदूर क्षेत्र में स्थानांतरित कर दिया गया। (अनुलग्नक–3)

अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाकर प्रत्यर्थी विभाग को निर्देश दिए जावे कि अपीलार्थी के संबंध में जारी आदेश दिनांक 09.05.2025 और 10.05.2025 को अपास्त फरमाया जावे एवं अपीलार्थी को सेवानिवृत्ति की आयु तक अपने वर्तमान पदस्थापन स्थान अर्थात ब्लॉक पशु चिकित्सा स्वास्थ्य कार्यालय, बहरोड़ में वरिष्ठ पशुधन विस्तार अधिकारी के पद पर ही निरंतर कार्यरत रखा जावे।

बहस के दौरान अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता द्वारा यह अनुरोध किया गया कि अपीलार्थी अपील में अंकित तथ्यों के आधार पर प्रत्यर्थी विभाग के सक्षम अधिकारी के समक्ष अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करना चाहता है। अतः अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करने पर प्रत्यर्थी विभाग द्वारा नियमानुसार अभ्यावेदन का निस्तारण करने के आदेश प्रदान किए जावे। प्रत्येक कार्मिक को यह अधिकार प्राप्त है कि वह सेवा संबंधी अभाव अभियोग निवारण हेतु अपने नियोक्ता को अभ्यावेदन प्रस्तुत कर अपनी परिवेदना प्रस्तुत कर सके।

अतः प्रस्तुत अपील के तथ्यों के संबंध में गुणावगुण पर विचार नहीं करते हुए तथा अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता के स्वयं के अनुरोध को दृष्टिगत रखते हुए न्यायहित में यह आदेश दिया जाता है कि अपीलार्थी आदेश से आगामी दो सप्ताह की अवधि में सक्षम प्राधिकारी को अपनी अपील में वर्णित तथ्यों के संबंध में अभ्यावेदन प्रस्तुत करे। सक्षम प्राधिकारी को यह निर्देश दिये जाते है कि वह पूर्वोक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने पर उसे राज्य सरकार व विभाग के नियमों/ दिशा–निर्देशों/ परिपत्रों के परिप्रेक्ष्य में आगामी दो सप्ताह की अवधि में गुणावगुण के आधार पर नियमानुसार आख्यात्मक आदेश (Speaking Order) प्रसारित कर अभ्यावेदन को निस्तारित करे और ऐसे निस्तारण की सम्यक् सूचना अपीलार्थी को दे।

अतः उक्त अपील, मय स्थगन प्रार्थना पत्र, ग्राह्यता के प्रक्रम पर ही उपर्युक्त निर्देश के साथ अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती है।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य